प्रेषक

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2025-26 में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतया राज्य पोषित) के संचालन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के दृष्टिगत सूचीबद्ध चिकित्सालयों के चिकित्सा दावों के भुगतान हेतु धनराशि की अग्रिम के रूप में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-17प/नि0बं0/2025-26/214, दिनांक 26.12.2025 तथा शासनादेश संख्या-150/2022/आई0/192917/2022-5-6099/147/2021-6- दिनांक 21.07.2022, शासनादेश संख्या-239/2022/आई0/241127/2022-5-6099/147/2021-6-, दिनांक 29.11.2022, शासनादेश संख्या-07/2023/आई0/257233/2023-5-6099/147/2021-6-, दिनांक 04.01.2023, शासनादेश संख्या-73/2023/आई0/292005/2023-5-6099/147/2021-6-, दिनांक 23.03.2023, शासनादेश संख्या-173/2023/आई0/344149/2023-5-6099/147/2021-6-, दिनांक 05.07.2023, शासनादेश संख्या-174/2023/आई0/344446/2023-5-6099/147/2021-6, दिनांक 06.07.2023 शासनादेश संख्या-212/2023/आई0/374673/2023-5-6099/147/2021-6-, दिनांक 24.08.2023, शासनादेश संख्या-275/2023/आई0/413001/2023-5-6099/147/2021-6-, दिनांक 20.10.2023, शासनादेश संख्या-117/2024/आई0/676407/2024-5-6099/147/2021-6-, दिनांक 26.06.2024, शासनादेश संख्या-37/2025/आई0/867135/2025-5-6099/147/2021-6-, दिनांक 31.01.2025, शासनादेश संख्या-103/2025/आई0/922438/2025-5-6099/147/2021-6-, दिनांक 28.03.2025, शासनादेश संख्या-183/2025/आई0/1065839/2025-5-6099/147/ 2021-6-, दिनांक 25.08.2025 एवं शासनादेश संख्या-256/2025/आई0/ 1180745/2025-5-6099/147/2021-6-, दिनांक 19.12.2025 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2025-26 में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतया राज्य पोषित) के संचालन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के अन्तर्गत अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 30000.00 लाख सूचीबद्ध चिकित्सालयों के चिकित्सा दावों के लम्बित/प्राप्त होने वाले दावों के भुगतान हेतु अग्रिम आहरण किये जाने पर वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15.11.2017 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश दिनांक 25.10.1983, 10.06.2011 तथा 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्थानुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

3. पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2026 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आंकडों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुये वित्त विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।

5. धनराशि संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

6. आगामी प्रस्ताव उपलब्ध कराते समय अब तक अग्रिम के रूप में स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,00,000 (रुपये तीन अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 032 **लेखा शीर्षक** 2235601100600 आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजना **मानक मद-**42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-[illegible]0-3-241/दस-2025-26, दिनांक 02 फरवरी, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं तददिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्टेट एजेन्सी फार काम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज), लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in